मोर्गिना बेगम

बनाम

प्रबंध निदेशक, हनुमान प्लैन्टेशन लिमिटेड।

26 सितंबर, 2007

[ए. के. माथुर और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923:

एस. 21 (1) (ख)-क्षेत्राधिकार-नागांव में दुर्घटना जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है मृतक के माता-पिता अपनी आजीविका के लिए तेजपुर में अपने दामाद के साथ रहने लगे। माता-पिता द्वारा दायर दावा याचिका आयुक्त, तेज़पुर के समक्ष दायर की गई । आयोजित की रखरखाव क्षमताः रखरखाव योग्य विधियों की व्याख्या-लाभकारी विधान।

मृतक प्रतिवादी कंपनी का एक कर्मचारी था। उसकी मौत दुर्घटना जो नागांव में हुई थी। उसके माता-पिता ने आयुक्त, तेज़पुर के समक्ष कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए याचिका दायर की । उक्त याचिका में आयुक्त तेज़पुर ने 2.70 लाख रुपये का मुआवजा दिया। प्रतिवादी कंपनी दो दलीलें देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष फैसले को चुनौती दी कि तेज़पुर के आयुक्त के पास दावे के विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं था और मृतक की मृत्यु रोजगार के दौरान नहीं हुई थी ।

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि तेज़पुर आयुक्त के पास कोई दावा याचिका पर विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं था और तदनुसार दूसरे तर्क पर ध्यान दिये बिना आयुक्त तेजपुर के आदेश को खारिज कर दिया गया।

अपीलिय न्यायालय में अपीलार्थी-दावेदार ने तर्क दिया कि दावा याचिका तेज़पुर में दायर की गई थी क्योंकि दोनों दावेदार, यानी मृतक के पिता और माँ अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपने दामाद के साथ तेज़पुर में रहने लगे थे।

न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के मुददे पर अपील की अनुमति देते हुए प्रतिवादी के मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेज दिया।

अभिनिर्धारितः

1. कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923: की धारा 21 (1) (बी) में प्रावधान है कि दावा याचिका दावेदार द्वारा दायर की जा सकती है जहां दावेदार सामान्य रूप से रहता है। अभिव्यक्ति 'सामान्यतः निवास करता है' का अर्थ है कि मुआवजे का दावा करने वाला व्यक्ति दावा याचिका दायर करने के समय सामान्यतः रहता है। धारा 21(1) में प्रावधान है कि यदि आयुक्त, उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयुक्त के अलावा, जिस क्षेत्र में दुर्घटना हुई है, दावा याचिका पर विचार करता है, तो उसे उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयुक्त को एक नोटिस देना आवश्यक है। क्षेत्र और संबंधित राज्य सरकार। *[पैरा 6] [377-ए, बी, सी]*

1.2 . विचार यह है कि पूरे देश भर में प्रवासी मजदूर अक्सर उनकी आजीविका कमाने के लिए कहीं और जाते हैं जब कोई दुर्घटना होती है तो दावेदारों की सुविधा के लिए वे अपना दावा न केवल उस स्थान पर कर सकते हैं जहाँ दुर्घटना हुई है, बल्कि उस स्थान पर भी कर सकते हैं जहाँ वे आम तौर पर रहते हैं। गरीब कामगार या उनके आश्रित जो देश के एक हिस्से में रहते हैं और अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनके लिए दावा याचिका दायर करने के लिए दुर्घटना स्थल पर जाना संभव नहीं है। वित्तीय और अन्य कठिनाइयों के कारण दावेदारों के लिए ऐसी दावा याचिका दायर करना बहुत महंगा हो सकता है। श्रम क़ानून श्रमिकों के कल्याण के लिए हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण है कि दावा याचिका केवल उसी स्थान पर दायर की जा सकती है जहां दुर्घटना हुई थी। धारा 21(1)(बी) को इसके प्रावधान के साथ पढ़ा जाए तो यह श्रमिकों के कल्याण के लिए एक लाभकारी कानून है और उपरोक्त व्याख्या के अनुसार, यह श्रमिकों के हित को आगे बढ़ाएगा। *[पैरा 7] [377-जी; 378-ए, ई, एफ]*

भरत सिंह बनाम नई तपेदिक केंद्र, नई दिल्ली और अन्य प्रबंधन, [1986] 2 एस. सी. सी. 614, पर भरोसा किया।

एस. के. सौकत अली उर्फ सेखो एस. के. वी. कामगारों के लिए आयुक्त क्षतिपूर्ति-सह-उप श्रम आयुक्त, कटक और अन्य।, (1999) 2 परिवहन और दुर्घटना मामले 638 (ओ.आर.आई) और नूरजहां बनाम नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड, हैदरबाद और अन्न। , (1999) 3 टी.ए.सी. (एपी), स्वीकृत किया गया।

2.1 . दोनों दावेदार, अर्थात मृतक के पिता और माता की जाँच की गई है और वे गवाह बॉक्स में पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के रूप में उपस्थित हुए हैं और पीडब्लू-1 मृतक के पिता ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट: रूप से कहा है कि वह उनकी आजीविका के लिए तेज़पुर में अपने दामाद के साथ रह रहे हैं। इसी तरह मृतक की मां ने कहा है कि वह अपने दामाद के साथ तेज़पुर में रहती हैं। उन्हें यह सुझाव दिया गया है कि वे नागांव में रह रहे हैं लेकिन उसके द्वारा दृढ़ता से इनकार किया गया। इन दो गवाहों के इस कथन पर कि वह वर्तमान में अपनी आजीविका के लिए तेज़पुर में रह रहे हैं, पर आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर तेज़पुर द्वारा विश्वास किया गया। *[पैरा 8] [378-जी; 379-ए]*

2.2 . प्रतिवादी का यह तर्क है कि केवल यह कहना कि वे तेज़पुर में रह रहे हैं, उनके बयान को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें यह दिखाने के लिए दस्तावेज़ प्रस्तुत करना चाहित कि वास्तव में वे तेज़पुर में रह रहे हैं, स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि दोनों दावेदारों द्वारा एक स्पष्ट बयान है कि वे अपने बेटे की मृत्यु के बाद तेज़पुर में रहने लगे। यदि प्रतिवादी यह साबित करना चाहता था कि वे झूठी गवाही दे रहे थे, तो उसे इन गवाहों से जिरह करनी चाहिए थी और इस बिंदु पर उनकी गवाही को इस बिंदु पर गवाह बॉक्स में चुनौती देनी चाहिए थी, जो नहीं किया गया है। *[पैरा 8] [379-बी, सी]*

3. उच्च न्यायालय ने अपील पर केवल क्षेत्राधिकार के आधार पर विचार किया है, गुण-दोष के आधार पर नहीं। इसलिए मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाता है ताकि उसके समक्ष आग्रह किये गये दूसरे

बिन्दु के संबंध में गुण-दोष के आधार पर प्रतिवादी के मामले पर विचार किया जा सके और उसे पर शीघ्रता से निर्णय लिया जा सके। *[पैरा 9] [379-एफ]*

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4548/2007.

(विविध प्रथम अपील संख्या 86/2002 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 10.02.2006 से)

मनीष गोस्वामी (मेसर्स मैप और कंपनी के लिए) अपीलकर्ता की ओर से ।

सी. मुकुंद, अशोक जैन, पंकज जैन एण्ड बिजोय कुमार जैन प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गया था

1. अनुमति स्वीकृत की गई।

2. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंड पीठ का आदेश 10.2.2006 फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है जिसके तहत उच्च न्यायालय ने आयुक्त कामगारों का मुआवजा, तेज़पुर के फैसले दिनांक 04.10.2002 को रद्द कर दिया है।

3. इस मामले के सुविधाजनक निपटारे के लिए, कुछ तथ्य का उल्लेख किया जा सकता है। मृतक मो. राजिक अहमद प्रतिवादी कंपनी का कर्मचारी था उसकी मृत्यु 14.07.2000 को हुई गई थी। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत मुआवजा का दावा करने के लिए मृतक के पिता और

माता ने आयुक्त, कामगार क्षेत्र-III, तेज़पुर के समक्ष एक याचिका दायर की थी । उक्त याचिका में, विद्वान आयुक्त तेज़पुर ने 2,70,520 रुपये का मुआवजा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील के विरूध देने का आदेश दिया । कर्मचारी प्रतिकर तेजपुर प्रतिवादी कम्पनी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील पेश की और प्रतिवादी कंपनी (उच्च न्यायालय में अपीलार्थी) की ओर से दो दलीलें दी गई) (1) कि आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर तेजपुर के पास दावा याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और (2) मृतक की मृत्यु नौकरी के दौरान नहीं हुई थी। जहां तक प्रतिवादी के पहले तर्क का संबंध है, उच्च न्यायालय ने दावेदार के खिलाफ उसी का जवाब दिया और कहा कि आयुक्त, तेज़पुर के पास दावा याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और तदनुसार इसने यहाँ प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और दूसरे तर्क में जाये बिना आयुक्त, कामगार मुआवजा, तेज़पुर के आदेश को रद्द कर दिया । अतः इसलिए दावेदारों द्वारा वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी गई है।

4. वर्तमान मामले में शामिल विवाद की सराहना करने के लिए क्या आयुक्त, कामगार मुआवजा, तेज़पुर के पास दावा याचिका पर विचार करने या न करने के लिए अधिकार क्षेत्र था या नहीं, हमारे लिए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के आवश्यक प्रावधानों को संदर्भित करने के लिए आवश्यक होगा । इसके बाद संक्षेप में श्रमिकों के मुआवजे अधिनियम की धारा 21 (1) जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, उसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

" *21. कार्यवाही और स्थानांतरण का स्थानः* - (1) जहाँ इस अधिनियम के तहत कोई भी मामला आयुक्त द्वारा या उसके समक्ष किया जाना है, इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाये गये नियम के अधीन होगा या उस क्षेत्र के लिए आयुक्त के समक्ष जिसमें:-

(क) दुर्घटना हुई जिसके परिणामस्वरूप चोट लगी; या

(ख) कर्मचारी या उसकी मृत्यु के मामले में, मुआवजा का दावा करने वाला आश्रित सामान्य रूप से निवास करता है; या

(ग) नियोक्ता का अपना पंजीकृत कार्यालय हैः

बशर्ते जिस क्षेत्र में दुर्घटना हुई है उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयुक्त के अलावा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले आयुक्त को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से उन्हें सूचना दिए बिना किसी भी मामले पर संबंधित राज्य सरकार और क्षेत्र अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयुक्त के समक्ष या उसके द्वारा कार्रवाई नहीं की जायेगी ।

बशर्ते कि, जहां कर्मचारी, कप्तान या एक जहाज या एक नाविक या चालक दल का सदस्य एक विमान या एक मोटर वाहन या एक कंपनी में एक कर्मचारी होने के नाते, भारत के बाहर दुर्घटना का शिकार हो जाता है ऐसा कोई भी मामला उस क्षेत्र के आयुक्त द्वारा या उसके समक्ष किया जाना चाहिए जहां मालिक या अभिकर्ता है जहाज, विमान या मोटर वाहन का मालिक या एजेन्ट रहता है या व्यवसाय करता है या कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, जैसा भी मामला हो। "

5. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान मामले में दुर्घटना नौगांव में हुई थी और इसलिए नौगांव, में कामगारों के मुआवजा आयुक्त के पास भी दावा याचिका पर विचार करने का भी अधिकार क्षेत्र था । हालाँकि, वर्तमान मामले में दावा याचिका तेज़पुर में दायर की गई थी क्योंकि दोनों दावेदार, अर्थात मृतक मो. राजिक अहमद के पिता और माता अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपने दामाद के साथ तेज़पुर में रहने लगे। मो. राजिक अहमद मामले में वर्तमान में यह तय किया जाने वाला प्रश्न है कि कब दुर्घटना नागांव में हुई और दावेदार उनके बेटे की मृत्यु के समय यहां नागांव में रह रहे थे लेकिन उनके बेटे मो. राजिक अहमद की मृत्यु के बाद वे नौगांव में स्थानांतरित हो गए थे, आयुक्त, तेज़पुर में श्रमिकों के मुआवजे के दावे की याचिका वैध रूप से विचार करता है ।

6. अधिनियम की धारा 21 (1) (बी) स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि दावा याचिका दावेदार द्वारा दायर की जा सकती है जहाँ दावेदार सामान्य रूप से रहता है। हमारी राय में अभिव्यक्ति 'सामान्यत: निवास' का अर्थ है कि मुआवजे का दावा करने वाला व्यक्ति दावा याचिका दायर करने के समय कहां रहता है। धारा 21 (1) का प्रावधान जो वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक है यह प्रावधान करता है कि यदि आयुक्त के अलावा जिस क्षेत्र में दुर्घटना हुई है उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयुक्त दावा याचिका पर विचार करता है तो वह एक नोटिस अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयुक्त और राज्य सरकार देगा। संशोधित धारा 21 को विशेष रूप से अधिनियम संख्या 30/1995 के अधिनियम में संशोधन कर तारीख 15 सितंबर, 1995 से दावेदारों को लाभ और सुविधा प्रदान करने के लिए लागू

किया गया है। अधिनियम के संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण, एक प्रति जिसको हमारे सामने प्रस्तुत की गई में, स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि दावेदारों के लाभ के लिए संशोधन लाया गया है। या तो श्रमिक या उनके आश्रित, वस्तुओं और कारणों के विवरण का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:-

" प्रवासी कर्मचारी को उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयुक्तों के समक्ष मुआवजे के दावे दायर करने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रावधान लागू करने का भी प्रस्ताव है जहां वे व उनके आश्रित आम तौर पर रहते हैं। इसमें एक आयुक्त से दूसरे आयुक्त को मुआवजे के हस्तांतरण का भी प्रावधान है।"

7. इस संशोधन को लागू करने के पीछे विचार यह है कि देश भर के प्रवासी मजदूर अक्सर अपनी आजीविका कमाने के लिए कहीं और जाते हैं। जब कोई दुर्घटना होती है तो दावेदारों की सुविधा के लिए वे अपना दावा न केवल उस स्थान पर कर सकते हैं जहां दुर्घटना हुई है बल्कि उस स्थान पर भी कर सकते हैं जहां वह आमतोर पर रहते हैं। यह संशोधन अधिनियम 1995 में लागू किया गया था। यह बहुत प्रशंसनीय तरीके से किया गया था। अन्यथा इससे दावेदार को अधिनियम के तहत मुआवजा के दावा करने में कठिनाई का कारण बन सकता है । गरीब श्रमिकों या उनके आश्रित जो देश के एक हिस्से में रहते हैं और अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं । उनके लिए दुर्घटना स्थल पर जाना संभव नहीं है। दावा याचिका दायर करने के लिए वित्तीय और अन्य कठिनाइयों के कारण दावेदारों के लिए ऐसी दावा याचिका दायर

करना बहुत महंगा हो सकता है। इसके लिए गरीब दावेदार को मुआवजा प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी होगी। श्रम कानून श्रमिकों के कल्याण के लिए हैं। इस न्यायालय ने भरत सिंह बनाम नये तपेदिक केंद्र, नई दिल्ली और अन्य प्रबंधन, [1986] 2 एस. सी. सी., 614 से विचार लिया कि कल्याणकारी कानून को शाब्दिक संरचना देने के बजाय वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए व्याख्या दी जानी चाहिए। संदेह के मामले में में श्रमिकों के पक्ष में व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम जो दृष्टिकोण ले रहे हैं, वह एस. के. सौकत के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा अली उपनाम सेखो एस. के. बनाम कामगारों के मुआवजे के लिए आयुक्त सह-उप श्रम आयुक्त, कटक और अन्य। , (1999) 2 परिवहन और दुर्घटना मामले 638 (ओ. आर. आई.) और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले नूरजहां बनाम नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड हैदराबाद और अन्य, (1999) 3 टी. ए. सी. 276 (एपी)। इसलिए एक दावा याचिका जहाँ दुर्घटना हुई हो। इसकी सुविधा के लिए है कर्मकारों का कार्य और कर्मकारों के कल्याण के लिए कार्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश में लिया गया दृष्टिकोण कि दावा याचिका केवल उस स्थान पर दायर की जा सकती है जहाँ दुर्घटना हुई थी उसे कायम नहीं रखा जा सकता। इसके साथ पठित धारा 21 (1) (बी) परंतुक श्रमिकों के कल्याण के लिए एक लाभकारी कानून है और उपरोक्त, व्याख्या, यह श्रमिकों के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा। इसलिए, हमारी राय है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश

में लिए गए दृष्टिकोण को कायम नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार हम निर्धारित करते हैं विवादित आदेश को एक तरफ कर दें।

8. अब, वर्तमान मामले में तथ्यों को आगे बढ़ते हुए, दोनों दावेदारों, यानी, मृतक के पिता और माँ की जाँच की गई और वे गवाह बक्से में पीडब्लू-1 और पीडब्लू 2. के रूप में उपस्थित हुए। मृतक मो. राजिक अहमद के पिता पीडब्लू-1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है वे अपनी आजीविका के लिए तेज़पुर अपने दामाद के साथ रह रहे हैं। इसी तरह मृतक की माँ ने बताया है कि उसी तर्ज पर कि वे अपने दामाद के साथ तेज़पुर में रह रहे हैं। उन्हें यह सुझाव दिया गया है कि वे नागांव में रह रहे हैं उसके द्वारा दृढ़ता से इनकार किया गया। इन दोनों गवाहों का बयान यह स्पष्ट होता है कि वे वर्तमान में अपनी आजीविका के लिए तेज़पुर में रह रहे हैं। इन दोनों गवाहों के बयान पर आयुक्त ने विश्वास किया, कर्मचारी प्रतिकर, तेज़पुर। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता केवल ने कहा कि यह कहना कि वे तेज़पुर में रह रहे हैं, उनके बयान को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बल्कि उन्हें यह दिखाने के लिए दस्तावेज पेश करने चाहिए की वे वास्तत में तेज़पुर में रह रहे हैं। हमें प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता से सहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता। जब दोनों दावेदारों द्वारा स्पष्ट बयान है कि वे अपने बेटे की मृत्यु के बाद तेज़पुर में रहने लगे । यदि प्रतिवादी यह साबित करना चाहता था कि वे गलत तरीके से गवाही दे रहे थे तो उन्हें इन गवाहों से जिरह कर उन्हें इस बिंदु पर गवाहों के बक्से में चुनौती देनी चाहिए थी जो नहीं की गई है। वर्तमान मामले में, हम संतुष्ट हैं कि मृतक के पिता और माता के बयान भरोसेमंद

है कि वे आम तौर पर तेज़पुर में रह रहे हैं, और इसलिए आयुक्त, कामगार तेज़पुर प्रतिष्ठान ने दावा याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। आयुक्त तेज़पुर ने अधिनियम की धारा 21 (1) के प्रावधानों की अनुपालना में आयुक्त, कामगारों के मुआवजा, नागांव के साथ-साथ राज्य सरकार को भी नोटिस दिया है।

9. इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि आयुक्त, कर्मचारी क्षतिपूर्ति, तेज़पुर के पास अपीलार्थियों की दावा याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था। तदनुसार, हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को दरकिनार कर देते हैं । प्रस्तुत प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपील पर केवल क्षेत्राधिकारी के आधार पर विचार किया है कि गुण-दोष के आधार पर नहीं। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया। इसलिए, हम मामले को उच्च न्यायालय को भेजते हैं। ताकि उसके समक्ष दूसरे बिंदु के संबंध में गुण-दोष के आधार पर प्रतिवादी के मामले पर विचार किया जा सके और उस पर शीघ्रता से निर्णय लिया गया।

10. अपील की अनुमति है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

डी जी

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी स्वाती भगवती, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।